नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 22/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र, श्री नाहर सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक नं. 15 एनएमएच प.न. 136/267 के किला नं. 10, साईज 82 फीट 6 इंच गुणा 135 फीट (0.1035 हैक्टेयर)
3.	क्षेत्रफल	0.1035 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1.प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2016 दिनांक 13.05.2003 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। नगर परिषद द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के माध्यम से प्रश्नगत भूमि के आस–पास सैक्टर रोड़ नेटवर्क अनुमोदित करवाया गया था। आवेदित भूमि उक्त अनुमोदित सैक्टर प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। 2.आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका में क्रमसः दिनांक 17.12.2015 व दिनांक 15.12.2015 को प्रकाशित की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3.आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग ''ब'' में प्रस्तुत की गई है। 4.वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 08.03.16 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ की अभिशंषा के अनुरूप **हनुमानगढ़ (नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान वर्ष 2016 तक प्रभावी हैं, नया मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन हैं। नगर का विकास एवं विस्तार पुराने मास्टर प्लान में दर्शित परिधि क्षेत्र में हो रहा हैं। अतः इस विकास एवं विस्तार को सुनियोजित रूप से नियंन्त्रित किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूमि का** परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तो के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं:–

1. आवेदित भूमि उक्त अनुमोदित सैक्टर प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। नगर परिषद द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के माध्यम से प्रश्नगत भूमि के आस–पास सैक्टर रोड़ नेटवर्क अनुमोदित करवाया गया था। सड़क के मध्य से 30 फीट दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि. राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 23/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/पीलीबंगा

	शहर कस्बे का नाम	पीलीबंगा
1.	आवेदक का नाम	श्री सुरेन्द्र कुमार गाँधी पुत्र श्री श्योपत राम रेगर।
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 13 पीबीएन के पत्थर नं. 31/308(22) के किला नं. 22/0.131, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.253 व पत्थर नं. 31/309(29) के किला नं. 5/0.019 कुल रकबा 0.909 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.909 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	औद्योगिक प्रयोजनार्थ।
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि पीलीबंगा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 04.08.2014 से लागू है, जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण नही हुये है। आवेदित भूमि के लिए दो पहूंच मार्ग है, जिनका मार्गाधिकार मौके पर 16.5–16.5 फीट है। उक्त दोनो पंहूच मार्गों को 80–80 फीट दर्शाया गया हैं। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र, सीमा सन्देश एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 16.12.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की प्रपत्र भाग "ब" में स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 28.01.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान के अनुमोदन दिनांक से दो वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण राज्य स्तरीय स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने की राय दी गयी हैं।	
8.	**विशेष विवरणः–** मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण क्षेत्र के समीप हैं, तथा प्रस्तावित आवासीय भू–उपयोग में दूर–दूर तक आवासीय विकास वर्तमान में विकसित नहीं हुआ हैं। **प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा की अभिशंषा के अनुरूप **क्षेत्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तथा निकाय की आय के दृष्टिगत** आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं:–

1. आवेदित भूमि के लिए दो पहूंच मार्ग है, जिनका मार्गाधिकार मौके पर 16.5–16.5 फीट है। उक्त दोनो पंहूच मार्गों को 80–80 फीट दर्शाया गया हैं। अतः दोनों मार्गों के मध्य से 40 फीट दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी, ताकि 80 फीट सड़कों की सुनिश्चिता हो सके।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन में, भवन विनियम–2013 के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत् Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
3. भूखण्ड में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि.राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 24/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/केसरीसिंहपुर

	शहर कस्बे का नाम	केसरीसिंहपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री रामकिशोर पुत्र श्री मुरलीधर, श्री जवाहर लाल पुत्र श्री हरिकृष्ण, श्री सुखमनजीत सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह, श्री नक्षत्र सिंह, श्री मंदर सिंह पुत्र श्री जगसिंह, श्री तरखान, श्री करनैल सिंह पुत्र श्री तोता सिंह,श्री राहुल पुत्र हनुमानदास, श्री कुमार पु नरेश त्र श्री रामविलास,
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम केसरीसिंहपुर के चक 3 यू के मु.नं. 27 के किला नं. 8–13 की कुल 0.253 है. एवं चक 4 यू मु.न. 10 के किला नं. 6 में 0.189 है. किला नं. 7 में 0.202 है. कि. नं. 13 में 0.139 है. कि.नं. 14 में 0.253 है. कि. न. 15 में 0.189 है. कुल रकबा 1.225है.
3.	क्षेत्रफल	1.225 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केसरीसिंहपुर के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि केसरीसिंहपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 15.02.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि केसरीसिंहपुर से कमीनपुरा जाने वालें राज्य राजमार्ग संख्या 7बी पर स्थित हैं। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 150 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से नहर (वाटरकोर्स) गुजर रहीं है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केसरीसिंहपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व जालंधर केसरी में दिनांक 03.07.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केसरीसिंहपुर द्वारा सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग ''ब'' में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 09.02.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
9.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केसरीसिंहपुर की अभिशंषा के अनुरूप **क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक विकास तथा निकाय की आय के दृष्टिगत** सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तो के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैः–

1. आवेदित भूमि केसरीसिंहपुर से कमीनपुरा जाने वालें राज्य राजमार्ग संख्या 7बी पर स्थित हैं। जिसका मार्ग का मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 150 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 75 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ योजना/भवन में, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं भवन विनियम–2013 के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत् Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
3. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि.राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके। आवेदित भूमि में से नहर (वाटरकोर्स) गुजर रहीं है। अतः सिंचाई विभाग की राय अनुसार नहर हेतु बफर जोन छोड़ा जाना होगा।
4. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं.25/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/नोहर

	शहर कस्बे का नाम	नोहर
1.	आवेदक का नाम	नगर पालिका नोहर
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नोहर के खसरा नं. 204/02 रकबा 17.680 हैक्टेयर बारानी भूमि में से 2 बीघा भूमि
3.	क्षेत्रफल	0.506 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	संस्थानिक (विद्यालय हेतु 3000 व.मी. शेष संस्थानिक) प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि नोहर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 02.08.2011 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि विद्यमान नोहर-सोती सड़क के दक्षिण दिशा में लगभग 800 फीट की दूरी पर है। पहुंच मार्ग हेतु पालिका ने अपने स्वामित्व के खसरा नं. 204/2 की भूमि में से 60 फीट चौड़ी सड़क आवेदित स्थल तक प्रस्तावित की है। प्रश्नगत भूमि के पश्चिम दिशा में 30 फीट चौड़ी विद्यमान सड़क है। दक्षिण दिशा में 30 चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। मौके पर भूमि रिक्त है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में दिनांक 28.01.2016 व संशोधित सावर्जनिक आपत्ति सूचना दैनिक भास्कर में दिनांक 04.05.2016 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर द्वारा आवासीय क्षेत्र से संस्थानिक (विद्यालय हेतु 3000 व.मी. शेष संस्थानिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 24.05.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का आवासीय क्षेत्र से संस्थानिक (विद्यालय हेतु 3000 व.मी. शेष संस्थानिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय क्षेत्र से संस्थानिक (विद्यालय हेतु 3000 व.मी. शेष संस्थानिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर की अभिशंषा के अनुरूप **आवासीय क्षेत्र में शिक्षा हेतु दूरी को कम किये जाने के दृष्टिगत** आवासीय क्षेत्र से संस्थानिक (विद्यालय हेतु 3000 व.मी. शेष संस्थानिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैः-

1. आवेदित भूमि विद्यमान नोहर-सोती सड़क के दक्षिण दिशा में लगभग 800 फीट की दूरी पर है। पहुंच मार्ग हेतु पालिका ने अपने स्वामित्व के खसरा नं. 204/2 की भूमि में से 60 फीट चौड़ी सड़क आवेदित स्थल तक प्रस्तावित की है। अतः 60 फीट सड़क की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा प्रश्नगत भूमि के पश्चिम दिशा में 30 फीट चौड़ी विद्यमान सड़क में किसी प्रकार का आवेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जावेगा, तथा दक्षिण दिशा में 30 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। सड़क के केन्द्र से 15 फीट में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवन में, भवन विनियम-2013 के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत् Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
3. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 26/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/पदमपुर

	शहर कस्बे का नाम	पदमपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री राजेन्द्र पाल बंसल पुत्र श्री कस्तूरी लाल अग्रवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम चक 24 बीबी, मुरब्बा नं. 131, किला नं. 01/0.190, 2/0253, 3/0.253, 4/0.253, 8/0.0253, 9/0.0253, 10/0.0179 कुल 1.0175 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	1.0175 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	कृषि (फलौद्यान)
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि पदमपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में कृषि (फलौद्यान) दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.08.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि पदमपुर से श्रीकरणपुर को जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 7बी पर स्थित हैं। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 150 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि के दक्षिण की ओर कुछ दूरी पर पदमपुर–श्रीगंगानगर को जाने वाली मास्टर प्लान की 150 फीट चौड़ी सड़क स्थित है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट कायम किये जाने की अभिशंषा की गई है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश व दैनिक भास्कर में दिनांक 03.03.2016 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर द्वारा कृषि (फलौद्यान) से पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 02.05.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का कृषि (फलौद्यान) से पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। 5. पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) निर्माण हेतु पर्यटन विभाग के पत्रांक एफ.9(148) होटल/पवि/2014–15 /30959 दिनांक 26.03.2015 द्वारा अनुमोदित है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 5 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का कृषि (फलौद्यान) से पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर की अभिशंषा के अनुरूप **निकाय की आय तथा रिसोर्ट एक पर्यटन ईकाई हैं। अतः पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत** कृषि (फलौद्यान) से पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं:–

1. आवेदित भूमि पदमपुर से श्रीकरणपुर को जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 7 बी पर स्थित हैं। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 150 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के केन्द्र से 75 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में समर्पण किया जावेगा, तथा आवेदित भूमि के दक्षिण की ओर कुछ दूरी पर पदमपुर–श्रीगंगानगर को जाने वाली मास्टर प्लान की 150 फीट चौड़ी सड़क स्थित है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट कायम किया जाना होगा।
2. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन में, राजस्थान भवन विनियम–2013 के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत् Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि. राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके। भूमि पर निर्माण इस प्रकार किया जावेगा, कि वर्तमान में स्थित वृक्षों को अधिकाधिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके।
4. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं.27/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/चूरू — अपील

	शहर कस्बे का नाम	चूरू
1.	आवेदक का नाम	श्रीमती कल्पना फगेडिया पत्नि श्री ओमप्रकाश फगेडिया एवं श्रीमती विमला फगेडिया पत्नि श्री सुधीर फगेडिया
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	भूखण्ड संख्या ए–2, सेक्टर–II, सैनिक बस्ती इण्डियन टी.टी. कॉलेज के पीछे भालेरी रोड, चूरू
3.	क्षेत्रफल	0.0767 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, चूरू के अनुसार स्वामित्व वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि चूरू नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में आवासीय क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 17.07.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि चूरू से भालेरी जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार दस्तावेजों अनुसार 150 फीट है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं दैनिक करंट ज्वाला में दिनांक 22.09.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
3. प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा विलेख वर्ष 1983 में जारी किया गया।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 10.11.2015 के अनुसार निरीक्षण उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने बाबत् भू–उपयोग परिवर्तन हेतु केन्द्रीय सरकार के भू–तल परिवहन मंत्रालय (MORTH) द्वारा जारी नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्डों के अनुसार संदर्भित प्रकरण में राय निम्न प्रकार है: **(i)** प्रश्नगत स्थल का क्षेत्रफल पर्याप्त है। **(ii)** प्रश्नगत स्थल की निकटतम फ्यूल स्टेशन से दूरी अपर्याप्त (लगभग 292.68 मीटर कम)। **(iii)** प्रश्नगत स्थल से निकटतम इण्टर सेक्शन की दूरी अपर्याप्त है (मौके पर 100 मीटर के अन्दर 24 फीट चौड़ी, 40 फीट चौड़ी एवं 90 फीट चौड़ी सड़कों के इण्टर सेक्शन स्थित है)। **(iv)** प्रश्नगत स्थल से टोल प्लाजा/किसी भी बेरियर से दूरी पर्याप्त है। प्रश्नगत स्थल के समीप ही 33 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर ने प्रकरण पर असहमति प्रकट की है।
5. जोधपुर विद्युत वितरण नि.लि. के पत्र दिनांक 16.10.2014 एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 05.10.2006 के माध्यम से जारी दिशा निर्देश अनुसार केवल सॉल्वेन्ट रिफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल के उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के अन्तर्गत जारी होने वाले अनुज्ञा पत्रों पर लागु होता हैं, जबकि पेट्रोल पम्प की अनापति पेट्रोलियम नियम, 2002 के अन्तर्गत जारी की जाती हैं।
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. मण्डल कार्यालय, जयपुर द्वारा भी अपने पत्रांक 10 ब/रि.से./01 दिनांक 10.08.2015 में स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सॉल्वेंट की श्रेणी में नही आते हैं।
7. भूतल परिवहन मंत्रालय (MORTH) द्वारा Guidelines/Norms for access permission to Fuel Statioons, Private Properties, REst Area Complexes and such other facilities along National Highways हेतु जारी अपने पत्रांक RW/NH-33023/19/99-DO-III दिनांक 24, जुलाई 2013 एवं 21 मई, 2015 के बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ट किया गया है, कि "These norms shall be followed for seeking and granting permission for the access to National Highways"
8. वर्णितानुसार स्पष्ट है, कि मोर्थ के मानदण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही बाध्यकारी है, जबकि प्रश्नगत स्थल शहरी क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित हैं।

8. **विशेष विवरण:–**

नगरीय क्षेत्र पेट्रोल पम्प यद्यपि एक व्यावसायिक गतिविधि हैं, तथापि यह नागरिकों हेतु नगर में सुविधा भी हैं। राज्य के समस्त नगरों में नगरीय निकाय के क्षेत्र में स्थित लगभग समस्त पेट्रोल पम्प मोर्थ की गाईडलाईन अनुसार स्थापित नहीं हैं। चुंकि मोर्थ के नियम Indian Road Congress के तहत् निर्धारित सड़कों हेतु बनाये गये हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में नगर की सड़के उक्त सड़को की श्रेणी में नहीं आती है।

भवन विनियमों में भी इस संबंध में स्पष्टता नहीं हैं, तथा इसी प्रकार के समान प्रकृति के अन्य कई प्रकरण निदेशालय स्तर पर लम्बित हैं।

भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों को मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज–2016 लागू किये जाने हेतु प्रेषित किये गये है। जिनमें पेट्रोल पम्प हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये गये है:–

The following regulations are recommended for locating the petrol pump cum service stationsi)

Minimum distance from the road intersections.

a) For minor roads having less than 30 m. R/W 50 m.

b) For major roads having R/W 30 m. or more 100 m.

The minimum distance of the property line of pump from the center line of the Road should not be less than 15 meters on roads having less than 30 m. R/W. In case of roads having 30 m. or more R/W, the R/W of the road should be protected.

Plot Size

a) Only filling stations 30 m. x 17 m. and small size 18 m. x 15 m. (for two and three wheelers)

b) Filling-cum-service station minimum size 36 m. x 30 m. and maximum 45 m. x 33 m.

c) Frontage of the plot should not be less than 30 m.

d) Longer side of the plot should be the frontage.

उपरोक्त अनुसार प्रावधान नई दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा अपना लिए गये हैं।

प्रस्ताव :–

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 8 तथ्यों के मद्येनजर नगरीय निकायों द्वारा निदेशालय स्तर पर प्रेषित ऐसे प्रकरणों के मद्येनजर नगरीय क्षेत्रों में नगरीय सड़कों पर पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रावधान को अपनाया जाना उचित होगा। प्रकरण में क्षेत्रफल स्थानीय अधिकारिता का हैं। अतः उपरोक्त प्रावधान अनुसार पेट्रोल पम्प स्थापित किया जाना होगा, इसके अतिरिक्त यदि किसी मानदण्ड में शिथिलता हेतु स्थानीय स्तर पर शिथिलता दिये जाने हेतु अधिकृत किया जाना उचित होगा।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा बैठक में उपस्थित नगर नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी एवं निकायों के अधिकारियों द्वारा ऐजेण्डा के बिन्दु संख्या 8 में उल्लेखित विशेष विवरण में उल्लेखित, केन्द्र सरकार द्वारा जारी मॉडल भवन विनियम, 2016 के पेट्रोल पम्प हेतु किये गये नवीन प्रावधानों को अपनाये जाने की अभिशंषा की गयी तथा प्रकरण विशेष में आयुक्त, नगर परिषद, चुरू की अभिशंषा के अनुरूप प्रश्नगत भूमि का उक्त नवीन प्रावधानों के तहत् आवेदित स्थल का आवासीय से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं.28/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रतनगढ़

	शहर कस्बे का नाम	रतनगढ़
1.	आवेदक का नाम	श्री खीवाराम जाट पुत्र श्री रेवन्तराम जाट
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रतनगढ़ के खसरा नं. 348 रकबा 11.15 बीघा में से 2 बीघा
3.	क्षेत्रफल	0.5059 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्‌टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ़ के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि रतनगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्‌टी दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 15.02.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि सुजानगढ़–रतनगढ़ मेगा हाईवे (राज्य राजमार्ग संख्या–7) पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। तत्पश्चात 100 फीट भूमि वृक्षारोपण पट्‌टी हेतु आरक्षित है। मेगा हाईवे से लगते हुये खसरा नं. 347 है जो आवेदक के स्वामित्व का है, जिसमें से आवेदित स्थल को 60 फीट चौड़ा रास्ता दक्षिण दिशा में पहुंच मार्ग के रूप में उपलब्ध कराया गया है, जिसे कायम किया जाना पालिका को जिम्मेदारी दी गई है। 2. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 11.06.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्‌टी से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी–2010 एवं राजस्थान भवन विनियम–2010 के प्रावधानुसार अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 2 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्‌टी से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ़ की अभिशांषा के अनुरूप **मुख्य सड़क पर व्यावसायिक गतिविधियों के सुनियोजित विकास एवं निकाय की आय के दृष्टिगत** परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं:–

1. आवेदित भूमि सुजानगढ़–रतनगढ़ मेगा हाईवे (राज्य राजमार्ग संख्या–7) पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है, तत्पश्चात् 100 फीट की वृक्षारोपरण पट्‌टी आरक्षित है। अतः 200 फीट सडक का मार्गाधिकार कायम किये जाने हेतु सडक के केन्द्र से 100 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। मार्गाधिकार के पश्चात 100 फीट वृक्षारोपण पट्‌टी हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010/पार्ट–।। दिनांक 25.03.2013 अनुसार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। मेगा हाईवे से लगते हुये खसरा नं. 347 है, जो आवेदक के स्वामित्व का है, जिसमें से आवेदित स्थल को 60 फीट चौड़ा रास्ता दक्षिण दिशा में पहुंच मार्ग के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अतः उसे कायम रखा जावेगा।
2. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन में, राजस्थान भवन विनियम–2013 के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत् Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
3. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि.राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं.29/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/राजगढ़ (चूरू)

	शहर कस्बे का नाम	राजगढ़ (चूरू)
1.	आवेदक का नाम	श्री जगदीश प्रसाद डीगवाल पुत्र श्री मोडूराम डिगवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम राजगढ़ के खसरा नं. 2565/2548 रकबा 4296.33 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.4296 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि राजगढ़ (चूरू) नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.01.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि नवनिर्मित बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है, तथा 30 मीटर भूमि ग्रीन बफर जोन है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व एक अन्य में दिनांक 24.07.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 08.03.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**<u>प्रस्ताव :–</u>** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) की अभिशंषा के अनुरूप **परिधि नियंत्रण क्षेत्र में आवेदित स्थल के पास हो रहे विकास के दृष्टिगत** परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तो के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं:–

1. आवेदित भूमि नवनिर्मित बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित हैं। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है, तत्पश्चात् 100 फीट की वृक्षारोपरण पट्टी आरक्षित है। अतः 200 फीट सडक का मार्गाधिकार कायम किये जाने हेतु सडक के केन्द्र से 100 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। मार्गाधिकार के पश्चात 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010/पार्ट–।। दिनांक 25.03.2013 अनुसार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। मेगा हाईवे से लगते हुये खसरा नं. 347 है, जो आवेदक के स्वामित्व का है, जिसमें से आवेदित स्थल को 60 फीट चौड़ा रास्ता दक्षिण दिशा में पहुंच मार्ग के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अतः उसे कायम रखा जावेगा।
2. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि. राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं.30/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/राजगढ़ (चूरू)

	शहर कस्बे का नाम	राजगढ़ (चूरू)
1.	आवेदक का नाम	श्रीमती विद्याकुमार देवी पत्नि श्री कमल चन्द मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम लम्बोर छिपियान के खसरा नं. 392/379 कुल रकबा 2530 वर्गमीटर में से 2158 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.2158 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि राजगढ़ (चूरू) नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.01.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या–41 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा नियमानुसार (7 दिवसीय) सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 31.12.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 16.03.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) की अभिशंषा के अनुरूप **क्षेत्र के आवास की आवश्यकता एवं सुनियोजित विकास के दृष्टिगत** परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैः–

1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या–41 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि. राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं.31/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/राजगढ़ (चूरू)

	शहर कस्बे का नाम	राजगढ़ (चूरू)
1.	आवेदक का नाम	श्री नवनीत कुमार पुत्र श्री रतन कुमार
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम लम्बोर छिपियान के खसरा नं. 383/334/305
3.	क्षेत्रफल	0.1265 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	संस्थागत (नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर) प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि राजगढ़ (चूरू) नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.01.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या 41 से लगभग 190 मीटर दूर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। दस्तावेजों के अनुसार राज्य राजमार्ग से प्रश्नगत भूमि तक पहुंच मार्ग के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित कर भिजवाई गई है। इस 60 फीट चौड़ी सड़क हेतु खातेदारों की सहमति प्राप्त कर राजस्व पटवारी की रिपोर्ट सहित भूमि सड़क हेतु समर्पित करने का लिखा गया है। आपत्ति सूचना में खसरा नं. 383/334 अंकित है। जबकि आवेदन में खसरा नं. 383/334/305 का उल्लेख किया गया है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र समाचार जगत व सेवन स्टार में दिनांक 06.05.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 11.02.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से संस्थागत (नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**<u>प्रस्ताव :–</u>** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 3 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से संस्थागत (नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) की अभिशंषा के अनुरूप **परिधि नियंत्रण क्षेत्र में 10000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल हेतु अस्पताल एवं शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थानिक भू–उपयोग अनुज्ञेय हैं। नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर भी एक संस्थानिक/शैक्षणिक गतिविधि हैं। यह एक प्रोफेशनल पाठ्यक्रम हैं। इससे क्षेत्र में यूवाओं की प्रोफेशनल स्कील विकसित होगी एवं रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होगें।** अतः परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से संस्थागत (नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं:–

1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या 41 से लगभग 190 मीटर दूर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। दस्तावेजों के अनुसार राज्य राजमार्ग से प्रश्नगत भूमि तक पहुंच मार्ग के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित कर भिजवाई गई है। इस 60 फीट चौड़ी सड़क हेतु खातेदारों की सहमति प्राप्त कर राजस्व पटवारी की रिपोर्ट सहित भूमि सड़क हेतु समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जावें। अतः रास्ते के मध्य से 30 फीट की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. आपत्ति सूचना में खसरा नं. 383/334 अंकित है। जबकि आवेदन में खसरा नं. 383/334/305 का उल्लेख किया गया है। अतः संशोधित आपत्ति सूचना का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
3. संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवन में, भवन विनियम–2013 के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत् Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
4. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी._वि.राय/15/215–33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :– समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर